रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3505] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 29, 2019/कार्तिक 7, 1941
No. 3505] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 29, 2019/KARTIKA 7, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3872(अ).—केंद्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह आवश्यक और उचित है कि आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के कुछ उपबंधों के प्रचालन से कतिपय श्रेणियों के लोगों को छूट प्रदान की जाए;

अत: अब, केंद्रीय सरकार आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र की अधिसूचना सं. का. आ. 1920 तारीख 6 जुलाई, 1963, में प्रकाशित, भारत सरकार की अधिसूचना को अधिक्रांत करते हुए उन बातों के सिवाए जिन्हें अधिक्रमण किया गया है या करने का लोप किया गया है इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों को, इसके स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुध और गोला-बारूद, जब उसे अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ले जाया जाए अथवा अपने पास रखा जाए, उक्त अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रचालन से छूट प्रदान करती है और उस अनुसूची के क्रमश: स्तंभ (3) और (4) में उल्लिखित ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगी:

परन्तु यह कि दी गई छूट निम्नलिखित और शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्:-

(क) यह 31 अक्टूबर, 2029 को समाप्त होने वाली अवधि तक वैध होगी।

(ख) आयुध और गोला-बारूद का डाकघर के माध्यम से आयात करना विधिपूर्ण नहीं माना जाएगा;

(ग) छूट प्राप्त श्रेणियों के व्यक्तियों की-

(i) ऐसे किसी भी आयुध और गोला-बारूद के विभिन्न वर्णन के बारे में आंकड़ों की जानकारी देगा, जिसके संबंध में छूट प्रदान की गई हो, को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित की जाए;

(ii) जब कभी भी किसी आयुध अथवा गोला-बारूद, जिसके संबंध में छूट प्रदान की गई है, हानि हो जाती है या चोरी हो जाती है, तब इस प्रकार की हानि अथवा चोरी की घटना की सूचना, खोई हुई अथवा चोरी हुई आयुध या गोला-बारूद के ब्यौरे के साथ तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन में देंगे।

अनुसूची

व्यक्तियों की श्रेणियां	आयुध और गोला-बारूद का वर्णन	आयुध अधिनियम, 1959 के उपबंध	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)
कूर्ग मूलवंश का प्रत्येक व्यक्ति और कूर्ग में प्रत्येक जुम्मा टेन्योर धारक।	आयुध नियम, 2016 की अनुसूची I की प्रवर्ग I और II में यथा विनिर्दिष्ट के सिवाए सभी आयुध और गोला-बारूद।	वे उपबंध, जो धारा 3 और 4 में अन्तर्विष्ट हैं।	कूर्ग मूलवंश का कोई भी व्यक्ति, जिसे इसके अंतर्गत छूट प्राप्त है, कूर्ग जिले के बाहर निवास अथवा यात्रा के दौरान एक राइफल और उसके गोला-बारूद के 100 राउंड तथा एक स्मूद बोर ब्रीच अथवा मज़ल लोडिंग बंदूक एवं उसके 500 कारतूस अथवा समकक्ष लेड के शॉट और गनपाउडर से अधिक आयुध अथवा गोला-बारूद साथ नहीं ले जा सकता या अपने पास नहीं रख सकता।

[सं. V-11024/5/2018-आयुध]

एस.सी.एल. दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2019

S.O. 3872(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to exempt certain classes of persons from the operation of some of the provisions of the Arms Act, 1959 (54 of 1959);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 41 of the Arms Act, 1959, and in supersession of the notification of the Government of India, published in the Official Gazette *vide* S.O.1920, dated the 6th July, 1963, except as respects things done or committed to be done before such supersession, the Central Government hereby exempts the classes of persons specified in column (1) of the Schedule here to annexed, in respect of the arms and ammunition of the description specified in column (2) thereof, when carried or possessed for their own personal use, from the operation of such of the provisions of the said Act and subject to such conditions as are mentioned in columns (3) and (4) respectively, of that Schedule:

Provided that the exemption hereby granted shall be subject to the following further conditions, namely:-

(a) It shall be valid for a period ending 31st October, 2029.

(b) It shall not be deemed to render lawful the import of arms or ammunition through the medium of post office;

(c) The classes of persons exempted shall,-

(i) render such statistical information about different description of arms and ammunition in respect of which the exemption has been granted, if any, as may be required by the Central Government;

(ii) whenever any arms or ammunition in respect of which exemption has been granted is lost or stolen, forthwith report the occurrence of such loss or theft, as the case may be, together with the details of the arms or ammunition lost or stolen at the nearest police station.

SCHEDULE

Class of persons.	Description of arms and ammunition.	Provisions of the Arms Act, 1959	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
Every person of Coorg by race and every Jumma tenure holder in Coorg.	All arms and ammunition, except those as specified in Categories I and II of *Schedule I* to the Arms Rules, 2016.	Those contained in sections 3 and 4.	The arms or ammunition carried or possessed by any person being Coorg by race and every Jumma tenure holder in Coorg and herein exempted whilst residing or travelling outside the district of Coorg shall not exceed one rifle with 100 rounds of ammunition for the same and one smooth bore breech or muzzle loading gun with 500 cartridges or the equivalent in leaden shot and gunpowder.

[No.V-11024/5/2018-Arms]

S.C.L. DAS, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.10.29 19:54:37 +05'30'